117

वि

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१८- निविध
निगरानी-6083/2018/भिण्ड/अ-90

१- रवीन्द्र सिंह
२- राम सिंह
३- वीर सिंह,
४- मुकेश सिंह
५- राकेश सिंह
६- सुल्तान सिंह

पुत्रगण श्री कालीचरन, समस्त निवासीगण ग्राम- पवैरा, तेहसील मैहगांव, जिला भिन्ड (मध्यप्रदेश) ।

------ प्रार्थीगण

विरुध्द

मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर, भिन्ड ।

---- प्रतिप्रार्थी

श्री ... द्वारा आज दि० 12-10-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22-10-18 नियत।
12-10-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

9290/18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ८ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। बावत अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र०क्र० ३२।९९-२००० में पारित आदेश दिनांक २२-२-२००१ एंव कलेक्टर महोदय भिन्ड के प्र०क्र० १०३।९८-९९ स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांकी २९-११-९९ को निरस्त कर तेहसीलदार मैहगांव व्दारा प्र०क्र० ९२-९५-९६-बी १२१ में पारित आदेश दिनांकी ६-४-९६ को स्थिर रखे जाने बावत् ।

कार्यालय ... राजस्व मण्डल
५९ ... ०६
०१
8
12/10/18

श्रीमान् जी,

प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण की विवादित भूमि पर अधिपत्य कृषक के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक विविध 6083/2018/भिण्ड/भू0रा0

रवीन्द्र सिंह आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण के साथ अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 32/1999–2000/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–2–2001 की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त के आदेश दिनांक 22–2–2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में यह विविध आवेदन दिनांक 12–10–2018 यानी 16 साल से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत नहीं किया गया है। 3/ आवेदक द्वारा यह विविध आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 8 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। संहिता की धारा 8 के अन्तर्गत अधीक्षण शक्तियों का प्रयोग आवश्यक मामलों में, किसी प्रकार की अवैधता, अनियमितता या प्रकिया संबंधी त्रुटि के कारण पक्षकार न्याय पाने से वंचित रह गया हो, तब ऐसी शक्तियों प्रयुक्त की जाना चाहिए। संहिता की धारा 8 में प्रावधानित किया है कि जब आदेश अपील या पुनरीक्षण योग्य हो तब ऐसी शक्ति प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। इस संबंध में 2009 रा0नि0 312 पवन कुमकार	

11.3.19

पाठक विरूद्ध रीमती उमा करारे का न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण को अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 22–2–01 के विरूद्ध निगरानी का उपचार उपलब्ध था। परन्तु 16 वर्ष के दीर्घकालिक विलम्ब के पश्चात संहिता की धारा 8 का उपयोग कर इस न्यायालय में विविध आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपर आयुक्त द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत अवैधानिक तरीके से किये गये अंतरण को कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश को उचित पाया है। इस प्रकरण में संहिता की धारा 8 के प्रावधान का उपयोग कर कार्यवाही की जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह विविध आवेदन प्रथमदष्टया आधारहीन एवं अवधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर0के0 जैन)
सदस्य
11.3.19